# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

सद्दाम बनाम बशीर खान वगैरह
किस्म मुकदमा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या 380 / 2025 (नसीराबाद )

रिमाण्ड
4/8/25

| | | |
|---|---|---|
| | श्री सीताराम रावत | |
| 04.08.2025 | सद्दाम बनाम बशीर खान (2025 / 300)<br>यह अपील श्री सीताराम रावत एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 128 / 2025 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.07.2025 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।<br>अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र स्थगन, अपील तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद तथा वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर एकपक्षीय सुना जाकर विपक्षीगण की सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये जाने के आदेश पारित किये गये है जिसमें आगामी पेशी दिनांक 19.09.2025 नियत है। अपीलांट जो अनुतोष अपील के माध्यम से प्राप्त करना चाहता है उसका अवसर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन हैं तथा उक्त प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही किया जाना है। अतः हम पक्षकारान के आर्थिक व्ययता एवं समय को मध्येनजर रखते हुए अपील को बिना गुणावगुण पर टिप्पणी करते हुए इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है।<br>अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 60 दिवस में गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।<br>राजस्व अपील प्राधिकारी<br>अजमेर | |

Scanned with CamScanner

न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर (राज0)

–00–

अपील संख्या 380 / 2025

–00– 2025/380

937 श्री सीताराम रावत Advt अपील पत्र पेश कर अजमेर होकर पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर 4/8/25

1. सद्दाम पुत्र बशीर खान उर्फ बजीर खान आयु 40 वर्ष
2. जमीला पत्नि बशीर खान उर्फ बजीर खान आयु 60 वर्ष जाति मेहरात निवासी ग्राम बिठूर तहसील नसीराबाद तहसील नसीराबाद जिला अजमेंर

अपीलार्थीगण

**बनाम**

380/2025
4/8/25

1. बशीर खान उर्फ बजीर खान पुत्र श्री चांदखान आयु 60 वर्ष जाति मेहरात निवासी ग्राम बिठूर तहसील नसीराबाद तहसील नसीराबाद जिला अजमेंर
2. अल्ताफ हुसैन पुत्र बशीर खान उर्फ बजीर खान जाति मेहरात निवासी ग्राम बिठूर तहसील नसीराबाद तहसील नसीराबाद जिला अजमेंर
3. जामीद खान पुत्र बशीर खान उर्फ बजीर खान जाति मेहरात निवासी ग्राम बिठूर तहसील नसीराबाद तहसील नसीराबाद जिला अजमेंर
4. नजीर खां पुत्र चांदखान जाति मेहरात निवासी ग्राम बिठूर तहसील नसीराबाद तहसील नसीराबाद जिला अजमेंर
5. मासुमा बानो पत्नि असरफ खान जाति मेहरात निवासी ग्राम बिठूर तहसील नसीराबाद तहसील नसीराबाद जिला अजमेंर
6. सलमा बानो पत्नि मोहम्मद जाति मेहरात निवासी ग्राम बिठूर तहसील नसीराबाद तहसील नसीराबाद जिला अजमेंर
7. आदम अली पुत्र छोटू
8. कश्मीर मोहम्मद खान पुत्र छोटू
9. नसीर मोहम्मद पुत्र छोटू
10. शफी मोहम्मद पुत्र छोटू
11. भंवर पुत्र मेहता
12. सुवराती पुत्र समदा
13. हुसैन पुत्र समदा
14. अलानूर पुत्र रहमान
15. अलादीन पुत्र रहमान

सद्दाम

जमीला

Scanned with CamScanner

16.आलम पुत्र रहमान
17.रसीदा पुत्री रहमान
18.समीना पुत्री रहमान
19.सलमा बानो पत्नि मोहम्मद असलम
20.हमीदा पुत्री चांद खान
21.शकीना पुत्री चांद खान
22.रेमती पुत्री चांद खान
23.महफूल पुत्री चांद खान समस्त जाति मेहरात निवासी ग्राम बिठूर तहसील नसीराबाद तहसील नसीराबाद जिला अजमेंर
24.मैनेजर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा भवानीखेडा तहसील नसीराबाद जिला अजमेंर
25.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद तहसील कार्यालय नसीराबाद जिला अजमेंर
26.उपपंजीयक अधिकारी कार्यालय नसीराबाद तहसील नसीराबाद जिला अजमेर

रेस्पाडेंट्सगण

---

***अपील अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्त अधिनियम 1955 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.07.2025 प्रकरण संख्या 128/2025 उनवान सददाम व अन्य बनाम बशीर व अन्य का प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश के विरूद्ध बाबत***

---

श्रीमानजी,

माननीय न्यायालय से अपीलार्थीगण की ओर निम्न निवेदन है कि:-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के समक्ष अपीलान्टगण/परफोर्मा रेस्पाडेन्टगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी 1955 के साथ में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजियात ग्राम बिठूर में स्थित है के आराजियात में प्रार्थीगण का हक व हिस्सा पुश्तैनी जमीन होने से निहित है तथा प्रार्थनाी संख्या 1 एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के परदादा मेन्दू की चौसाला जमाबंदी संवत 2025 से 28 में खातेदारी दर्ज चली आ रही भूमि चौसाला पुराने खसरा नम्बर 1556, 1755, 1751, 1752, 1753, 1753/1962, 1882, 1881, 1777 के वर्किंग जमाबंदी में बने नवीन खसरा नम्बर 2371, 2376, 2376, 2375, 2368, 2363, 2361, 2362, 2539, 2540, 2531

सदाम जमीला

Scanned with CamScanner